न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 02/2016

शीर्षक

मंशीराम उम्र–65 वर्ष पुत्र कालुराम
हरसहाय उम्र–60 वर्ष पुत्र कालुराम
बद्री उम्र–60 वर्ष पुत्र साधुराम
रामसिंह उम्र–45 वर्ष पुत्र साधुराम
जाति जाट, निवासी ढाणी लाखावाली, तन देवन, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।
श्रीमती कमली पुत्री साधुराम पत्नी कैलाश चन्द जाति जाट, निवासी हाल वार्ड नं0–2 शाहपुरा, जिला जयपुर
पतासी देवी पुत्री साधुराम पत्नी प्रकाश चन्द जाति जाट, निवासी हाल वार्ड नं0–2, शाहपुरा, जिला जयपुर
श्रीमती मन्नी देवी पुत्री साधुराम पत्नी पप्पूराम जाति जाट, निवासी वार्ड नं0–2 शाहपुरा, तह0शाहपुरा जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

. जगदीश पुत्र घीसाराम(मृतक दौराने दावा)
1/1 मुलचन्द पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/2 रामेश्वर पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/3 बिशनाराम पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/4 रामनारायण पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/5 जयराम पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/6 सुरेश पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/7 नन्छी पत्नी जगदीश उर्फ जगन्नाथ
जाति जाट, निवासी देवन, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।
1/8 सुन्दरी पुत्री जगदीश उर्फ जगन्नाथ पत्नी मालीराम
1/9 दिवाली पुत्री जगदीश उर्फ जगन्नाथ पत्नी रामनारायण
1/10 केसरी पुत्री जगदीश उर्फ जगन्नाथ पत्नी कैलाश चन्द
जाति जाट, निवासी कुसुमपुरा तन अजीतगढ, जिला–सीकर
. प्रभू पुत्र घीसाराम
. गणपत पुत्र घीसाराम(मृतक दौराने दावा)
3/1 रमकी देवी पत्नी गणपत
3/2 कैलाश पुत्र गणपत
3/3 सुल्तान पुत्र गणपत
3/4 शिम्भुदयाल पुत्र गणपत
3/5 बलराम पुत्र गणपत
3/6 हनुमान पुत्र गणपत
3/7 प्रेम देवी पुत्री गणपत पत्नी जगदीश
जाति जाट निवासी देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
3/8 भंवरी देवी पुत्री गणपत पत्नी साधुराम जाट, निवासी लेट का बास, तह0 शाहपुरा।
. बद्री पुत्र घासीराम (मृतक दौराने दावा)
4/1 सोनी देवी पत्नी बद्री
4/2 फूला पुत्र बद्री
4/3 बाबूलाल पुत्र बद्री
जाति जाट निवासी देवन, तह0शाहपुरा जिला जयपुर।
4/4 बिमला पुत्री बद्री पत्नी सुभाष इचरा
4/5 आंची पुत्री बद्री पत्नी इन्द्राज
4/6 मन्नी उर्फ मन्जू पुत्री बद्री पत्नी रामसिंह
4/7 छोटी पुत्री बद्री पत्नी गोपाल जाट
निवासी ढाणी लालावाली, तन खोरालाडखानी, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. पांचूराम पुत्र घासीराम
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र घासीराम
7. लादी देवी पत्नी अर्जुन
8. महावीर पुत्र अर्जुनलाल
9. नरसी पुत्र अर्जुन
10. रमेश पुत्र अर्जुन

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी जयपुर राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

जाति जाट, निवासी ढाणी कांकडावाली, तन देवन, तह0शाहपुरा जिला जयपुर।
. सीता पुत्री अर्जुन पत्नी ओमप्रकाश बाज्या
. सुमित्रा पुत्री अर्जुन पत्नी महेश चन्द बाज्या
निवासी ढाणी तकिया की हनुतपुरा, तन अमरसर, तह0शाहपुरा , जिला जयपुर।
. पटवारी हल्का , पटवार मण्डल देवन, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।
. उपपंजीयक अधिकारी–शाहपुरा, जिला–जयपुर।
. राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16/01/2023

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश किया कि गया कि आराजी ख0नं0 775 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 776 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 777 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ग्राम देवन तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसकी साबिक खातेदारी वादीगण के पूर्वज कालू काना पि0 किशना जाट के नाम दर्ज रही है । हाल सैटलमेण्ट कार्यवाही में उपरोक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 492/0.65, 494/0.89, 495/0.41 निर्धारित कर उनकी खातेदारी मय दीगर आराजीयात के वादीगण के पूर्वज कालूराम पुत्र किशना के नाम हाल जमाबन्दी सम्वत 2039 में अंकित की गयी वादीगण के साबिक खसरा नं0 776 का रकबा साबिका के मुकाबले 0.07 है0 कम अंकित किया है। वादीगण की उपरोक्त साबिका खातेदारी भूमि खसरा नं0–776 के दक्षिण में ग्राम देवन को जाने वाला शेर(रास्ता) है जिसका साबिक खसरा नम्बर 273 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा है व जो कि गांव के मार्ग तथा पगडंडियां राज सरकार की खातेदारी में दर्ज है व उक्त शेर के दक्षिण में साबिक खसरा नं0–794 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा स्थित है जिसकी साबिका खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगला पुत्र जेठू जाट के नाम दर्ज है नकल खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगला पुत्र जेठू जाट के नाम दर्ज है हाल सैटलमेण्ट कार्यवाही में उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर 794 का हाल खसरा नं0– 507/0.36, 508/0.21, 509/0.22 निर्धारित किया जाकर उनकी खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसा पुत्र मंगला के नाम हाल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2039 में अंकित की गयी व साबिका खसरा नं0– 273 का हाल खसरा नं0– 646 रकबा 0.55 है0 निर्धारित किया जाकर उसकी खातेदारी सिवायचक बिला लगानी मजकुर राज सरकार के नाम अंकित की गयी। वर्तमान में पगडंडियां व रास्ते दर्ज है साबिक खसरा नंबर 794 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के मुकाबले प्रतिवादीगण की खातेदारी में हाल खसरा नंबर 507, 508, 509 कुल रकबा 0.79 है0 निर्धारित किया गया है जिसमें साबिका के मुकाबले 0.14 है0 अधिक अंकित किया है। हाल सेटलमेण्ट कार्यवाही में हाल सेटलमेण्ट कर्मचारियों ने वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 776 के दक्षिण में स्थित शेर जो कि साबिका खसरा नं– 776 के पूर्वी तरफ से दक्षिणी पूर्वी तरफ जाता है को हाल सेटलमेण्ट कार्यवाही में साबिका रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत बिना किसी अधिकार व आधार के वादीगण के हाल खसरा नं0 494 के उत्तरी पूर्वी कोने तक दर्शाते हुये दक्षिण में घुमाते हुए वादीगण के साबिक खसरा नं0 776 की 7 एयर भूमि को हाल खसरा नं0– 494 के दक्षिणी पूर्वी तरफ स्थित शेर व उसके दक्षिण में स्थित प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज खसरा नं–507 में मिला दिया जो कि मौके की स्थिति व साबिका नक्शा ट्रेस के विपरीत है। प्रतिवादीगण की खातेदारी के साबिका खसरा नंबर 794 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के मुकाबले हाल खसरा नं0–507, 508, 509, का कुल रकबा 0.79 है0 निर्धारित किया गया है जो कि साबिका के मुकाबले 0.14 है0 अधिक है व जिसमें वादीगण की साबिका खातेदारी भूमि खसरा नं– 776 जिसके हाल खसरा नं0 494 निर्धारित किया है की 0.07 है0 भूमि शामिल कर दी। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि को साबिका के अनुसार काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी बाधा के उपयोग व उपभोग करते आ रहे है किन्तु अर्सा एक माह पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 494 के दक्षिण पूर्वी हिस्से से जबरन बेदखल कर वादीगण की खातेदारी में 0.07 है0 भूमि कम करने व प्रतिवादीगण की खातेदारी हाल खसरा नम्बर 507 में 0.14 है0 रकबा बढाने की जानकारी हुई। प्रतिवादीगगण ने शीघ्र ही दुरूस्ती करवाने का आश्वासन दिया लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

हाल जमाबन्दी में दर्ज खातेदार साधुराम पुत्र कालू, मुलचन्द पुत्र कालू फोत हो गये है वादीगण सं0–3, 4 साधुराम मृतक के लडके व वादीगण सं0–5, 6, 7 साधुराम की लडकिया है व मुलचन्द पुत्र कालू, फोत हो गया जिसके वारिस वादीगण ही है व मोहरी बेवा घीसा व अर्जुन पुत्र घीसा की भी मृत्यु हो गयी है प्रतिवादी सं0–1 लगा0 6 मोहरी के लडके व प्रतिवादी सं0–7 मोहरी के मृतक लडके अर्जुन की पत्नी व प्रतिवादी सं0– 8 लगा0 10 उक्त अर्जुन के पुत्रगण व 11, 12, अर्जुन की पुत्रियां है यही अर्जुन मृतक के वारिस है इसलिए इनको पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया है।

वादीगण प्रार्थीगण है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विपक्ष में एक डिकी दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी दुरूस्ती नक्शा ट्रकस व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्रदान करे कि वादीगण को हाल आराजी खसरा नं0– 494 रकबा 0.96 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल खसरा नं0– 507 में जो वादीगण की भूमि 0.07 है0 शामिल की गयी की दुरूस्ती कर हाल खसरा नं0– 507 का रकबा 0.07 है0 कम दर्ज किया जाकर अमल दरामद हाल राजस्व रिकार्ड में कराया जावे। हाल आराजी खसरा नंबर 646 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा पगडंडियां व रास्ते की पूर्वी सीमा साबिका नक्शा ट्रेस एवं रिकार्ड के अनुसार हाल

खण्ड अधिकारी
(जयपुर) राजस्थान

नक्शा ट्रकस में सीधी की जाकर हाल नक्शा ट्रेस दुरूस्त फरमाया जावे। प्रतिवादीगण, उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट, स्थानापन्नों आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे के वे हाल आराजी खसरा नं0– 494 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा के 0.96 है0 रकबे पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें बल्कि वादीगण को उक्त भूमि को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग व उपभोग करने देवे व वादीगण की उक्त खसरा नंबर की 0.07 है0 भूमि जो प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 507 में शामिल कर दी है पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे न ही उक्त खसरा नंबर 507 या इसके किसी भी भाग को अन्य दीगर को रहन बय हस्तान्तरण ही करे न किसी हस्तान्तरण डीड का पंजीकरण ही करावे बल्कि मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण से प्रतिवादी को हर्जा–खर्चा दिलवाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता प्रकरण में उपस्थित आये तथा वकालतनामा पेश किया एवं कोई जवाबदावा पेश नही किया गया तथा प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रकरण में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 14.7.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वकील वादी के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में वादी मंशीराम पुत्र कालूराम के शपथपत्र तथा गवाह प्रभूदया पुत्र घीसाराम जाट के शपथपत्र मुख्य परीक्षण में पेश किये जाकर प्रदर्श डलवाये गये । वकील वादी ने अपनी लिखित बहस पेश करते हुए दावा वादी के हक में डिकी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की लिखित बहस का ध्यानपूर्वक मनन करने पर पाया गया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 775 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 776 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 777 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के हॉल खसरा नम्बर 492 / 0.65, 494 / 0.89, 495 / 0.41 कायम किये गये है ।प्रदर्श पी–3 जमाबन्दी सं0 2008 से 2027 का अवलोकन पर पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 776 का रकबा 3 बीघा 16 के मुकाबले हॉल ख0नं0 494 रकबा 0.89 है0 कायम किये गये जो साबिक के मुकाबले 0.07 है0 कम कायम किया जाना साबित होता है । प्रदर्श पी–6 खतौनी बन्दोबस्त सं0 2008 से 2027 में प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगला पुत्र जेठू जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श– 8 हाल सैटलमेण्ट कार्यवाही में उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर 794 का हाल खसरा नं0– 507 / 0.36, 508 / 0.21, 509 / 0.22 निर्धारित किया जाकर उनकी खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसा पुत्र मंगला के नाम हाल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2039 में अंकित की गयी । साबिक खसरा नंबर 794 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के मुकाबले प्रतिवादीगण की खातेदारी में हाल खसरा नंबर 507, 508, 509 कुल रकबा 0.79 है0 निर्धारित किया गया है जिसमें साबिका के मुकाबले 0.14 है0 अधिक अंकित किया जाना साबित होता है ।वादी के द्वारा पेश पी–13 सन् 1942–43 सम्वत् 1999 राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्शित साबिक खसरा नम्बर 776की दक्षिण सीमा मे रास्ता दर्शित है तथा वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस सं0 2037 सन् 1980 में रास्ते को ख0नं0 494 की सीमा में उत्तर की तरफ दिखाया गया है जो साबिक नक्शा ट्रेस से भिन्न साबित होता है अर्थात प्रतिवादीगण के ख0नं0 507 का रकबा अधिक होना साबित होता है। प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 794 रकबा 2बीघा 12 बिस्वा के हॉल कायम किये गये ख0नं0 507, 508, 509 को कुल रकबा 0.79 है0 किया जाकर साबिक के मुकाबले 0.14 है0 अधिक रकबा दर्ज होना साबिक होता है तथा साबिक नक्शे में दर्ज रास्ते को वादीगण की भूमि हॉल खसरा नम्बर 494 में शामिल होना तथा प्रतिवादीगण का ख0नं0 507 का रकबा अधिक होना साबित होता है। इस प्रकार दावा वादीगण के हक में डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण के हक में डिकी किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.36 है0 में से 0.07 है0 भूमि कम की जाकर वादीगण को हॉल आराजी खसरा नम्बर 494 रकबा 0.89 है0 में 0.07 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा में शामिल करके वादीगण को हॉल ख0नं0 494 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव साबिक नक्शा ट्रेस 1942–43 सम्वत् 1999 में दर्शित साबिक ख0नं0 273रास्ते को वर्तमान में प्रचलित राजस्व नक्शा ट्रेस में साबिक नक्शे के अनुसार हॉल ख0नं0 646 का रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हॉल ख0नं0 494 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.01.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

16/01/23

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 02/2016

शीर्षक

1. मंशीराम उम्र–65 वर्ष पुत्र कालुराम
हरसहाय उम्र–60 वर्ष पुत्र कालुराम
बद्री उम्र–60 वर्ष पुत्र साधुराम
रामसिंह उम्र–45 वर्ष पुत्र साधुराम
जाति जाट, निवासी ढाणी लाखावाली, तन देवन, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।
श्रीमती कमली पुत्री साधुराम पत्नी कैलाश चन्द जाति जाट, निवासी हाल वार्ड नं0–2 शाहपुरा, जिला जयपुर
पतासी देवी पुत्री साधुराम पत्नी प्रकाश चन्द जाति जाट, निवासी हाल वार्ड नं0–2, शाहपुरा, जिला जयपुर
श्रीमती मन्नी देवी पुत्री साधुराम पत्नी पप्पूराम जाति जाट, निवासी वार्ड नं0–2 शाहपुरा, तह0शाहपुरा जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र घीसाराम(मृतक दौराने दावा)
1/1 मुलचन्द पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/2 रामेश्वर पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/3 बिशनाराम पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/4 रामनारायण पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/5 जयराम पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/6 सुरेश पुत्र जगदीश उर्फ जगन्नाथ
1/7 नन्छी पत्नी जगदीश उर्फ जगन्नाथ
जाति जाट, निवासी देवन, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।
1/8 सुन्दरी पुत्री जगदीश उर्फ जगन्नाथ पत्नी मालीराम
1/9 दिवाली पुत्री जगदीश उर्फ जगन्नाथ पत्नी रामनारायण
1/10 केसरी पुत्री जगदीश उर्फ जगन्नाथ पत्नी कैलाश चन्द
जाति जाट, निवासी कुसुमपुरा तन अजीतगढ, जिला–सीकर
प्रभू पुत्र घीसाराम
गणपत पुत्र घीसाराम(मृतक दौराने दावा)
3/1 रमकी देवी पत्नी गणपत
3/2 कैलाश पुत्र गणपत
3/3 सुल्तान पुत्र गणपत
3/4 शिम्भुदयाल पुत्र गणपत
3/5 बलराम पुत्र गणपत
3/6 हनुमान पुत्र गणपत
3/7 प्रेम देवी पुत्री गणपत पत्नी जगदीश
जाति जाट निवासी देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
3/8 भंवरी देवी पुत्री गणपत पत्नी साधुराम जाट, निवासी लेट का बास, तह0 शाहपुरा।
4. बद्री पुत्र घासीराम (मृतक दौराने दावा)
4/1 सोनी देवी पत्नी बद्री
4/2 फूला पुत्र बद्री
4/3 बाबूलाल पुत्र बद्री
जाति जाट निवासी देवन, तह0शाहपुरा जिला जयपुर।
4/4 बिमला पुत्री बद्री पत्नी सुभाष इचरा
4/5 आंची पुत्री बद्री पत्नी इन्द्राज
4/6 मन्नी उर्फ मन्जू पुत्री बद्री पत्नी रामसिंह
4/7 छोटी पुत्री बद्री पत्नी गोपाल जाट
निवासी ढाणी लालावाली, तन खोरालाडखानी, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. पांचूराम पुत्र घासीराम
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र घासीराम
7. लादी देवी पत्नी अर्जुन
8. महावीर पुत्र अर्जुनलाल

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

9. नरसी पुत्र अर्जुन
10. रमेश पुत्र अर्जुन
जाति जाट, निवासी ढाणी कांकडावाली, तन देवन, तह0शाहपुरा जिला जयपुर।
11. सीता पुत्री अर्जुन पत्नी ओमप्रकाश बाज्या
12. सुमित्रा पुत्री अर्जुन पत्नी महेश चन्द बाज्या
निवासी ढाणी तकिया की हनुतपुरा, तन अमरसर, तह0शाहपुरा , जिला जयपुर।
13. पटवारी हल्का , पटवार मण्डल देवन, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।
14. उपपंजीयक अधिकारी–शाहपुरा, जिला–जयपुर।
15. राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16/01/2023

अतः दावा वादीगण के हक में डिकी किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.36 है0 में से 0.07 है0 भूमि कम की जाकर वादीगण को हॉल आराजी खसरा नम्बर 494 रकबा 0.89 है0 में 0.07 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा में शामिल करके वादीगण को हॉल ख0नं0 494 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव साबिक नक्शा ट्रेस . 1942–43 सम्वत् 1999 में दर्शित साबिक ख0नं0 273रास्ते को वर्तमान में प्रचलित राजस्व नक्शा ट्रेस में साबिक नक्शे के अनुसार हॉल ख0नं0 646 का रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हॉल ख0नं0 494 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे ।

आज तारीख 16/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	